नम्बर व ता
अहकाम जो
हुक्म की तामी
जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र 48/2017

1– श्री बिरदीचंद पुत्र श्री मेघा उम्र बालिग जाति जाट निवासी बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

———प्रार्थी

ब ना म

1 श्रीलादू पुत्र श्री भूरा जाति ब्राहमण उम्र बालिग निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

2– श्रीमती कंचन पत्नि जीवणसिह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

3– श्रीरामकरण पुत्र श्री प्रताप जाति जाट उम्र बालिग निवासी बिजयनगर

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 1071 रक्बा 02–09–00 बिस्वा उनकी खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है जिनमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बाड़ी की जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 202 में ख0 न0 1071रक्बा 02–09–00 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते है कि –

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम बाड़ी स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 1071 रक्बा 02–09–00 बिस्वा में मौका कमीश्नर रु 1500/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि जरिये नक्शा व जमाबंदी अनुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.04 17:27:50 IST
Reason: SelfAttested